पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-2899
दिनांक-21.12.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) की क्राइम/ सर्विलांस टीम व थाना गोमतीनगर पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम को फर्जी मार्कशीट / डिग्री बनाने वाले अंतर्राज्जीय गिरोह के विरुद्ध मिली सफलता ।**
- **विभिन्न विश्वविद्यालय के फर्जी मार्कशीट / डिग्री बनाने वाले अंतर्राज्जीय गिरोह के 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **भारी मात्रा में फर्जी मार्कशीट व फर्जी मार्कशीट बनाने में प्रयोग में लाये जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरण व 02 लाख रुपये नकद बरामद।**

01-कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 20/12/2025 क्राईम टीम पूर्वी जोन व थाना गोमतीनगर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के फर्जी/कूट रचित मार्कशीट/डिग्री बनाने वाले 03 नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए उनके कब्जे से 923 फर्जी मार्कशीट व प्रमाण पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयो की 15 अदद कूटरचित मुहरे व 1अदद नीला इंक पैड, 2 लाख रुपये नकद 65 अदद मार्कशीट बनाने वाला पेपर, 1अदद टाटा हैरियर कार, 6 अदद लैपटाप, 2 अदद हार्डडिस्क, 1अदद लैपटाप चार्जर, 5 अदद मोबाइल फोन, 1 अदद प्रिण्टर, 1 अदद सीपीयू, 2 अदद रजिस्टर, 1 अदद फाइल मय पत्रावली के, 5 अदद चैकबुक/पासबुक बरामद की गयी।

पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा छात्र छात्राओं को उनकी जरूरत के अनुसार फर्जी मार्कशीट/डिग्री बनाकर देते हैं। जिसका उपयोग करके उन लोगों द्वारा विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की जाती है जिसके एवज में इनके द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार 25 हजार से 04 लाख रुपये तक रुपये लिये जाते हैं। उक्त सम्बंध में थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 578/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है अन्य वाछिंत अभियुक्तगण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर मा0 न्या0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

02-अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से भोले भाले विद्यार्थियो को गुमराह कर बिना परिश्रम के डिग्री प्राप्त कर लेने का लोभ देकर उनसे पैसे प्राप्त कर **कोई भी डिग्री जैसे की इंजीनियरिंग (बीटेक) बीसीए , एमसीए, एमएससी, बीए इत्यादि विभिन्न विश्वविद्यालय जैसे स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय जनपद मेरठ, नार्थ ईस्ट क्रिष्चियन विश्वविद्यालय दीमापुर नागालैंड, महराजा अग्रसेन हिमालयन गढवाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड, कलिंगा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान, साबरमती विश्वविद्यालय गुजरात व अन्य लगभग 25 विश्वविद्यालयो की मार्कशीट/डिग्री अभियुक्तगण द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। जिसके एवज में डिग्री / कोर्स के अनुसार 25 हजार से चार लाख तक विद्यार्थियो से लिए जाते है।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2900
दिनांक 21.12.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- ***जनता के सहयोग से केबल चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।***
- ***कब्जे से बिजली का तार लगभग 3 किलो व 01 अदद चाकू बरामद ।***

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.12.2025 को वादी श्री कौशिक पाण्डेय पुत्र श्री बब्बन पाण्डेय निवासी 656/6/P-007A बहादुरपुर युनिटीसिटी कुर्सी रोड थाना गुडम्बा लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर विपक्षीगण द्वारा CMS स्कूल में पिछले 3-4 दिनों से बिजली के तार चोरी होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1004/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम कल्लू व दिलीप पंजीकृत किया गया था।

वादी श्री कौशिक पाण्डेय पुत्र श्री बब्बन पाण्डेय निवासी 656/6/P-007A बहादुरपुर युनिटीसिटी कुर्सी रोड थाना गुडम्बा लखनऊ अपने सहयोगी अमन, बृजपाल नारेन्द्र पटेल, राकेश कुमार यादव व अन्य स्कूल के कर्मचारियो के साथ दिनांक 20.12.25 को सीएमएस स्कूल अंसल से तार चोरी करते हुये अभियुक्त 1- कल्लू पुत्र कुन्जनलाल निवासी सेमनापुर थाना गोसाईगंज उम्र करीब 30 वर्ष 2- दिलीप पुत्र रामचरन निवासी सेमनापुर थाना गोसाईगंज उम्र करीब 30 वर्ष पकड कर थाना उपस्थित लाये है तत्पश्चात अभियुक्त उपरोक्त को अपराध से अवगत कराते हुये थाना स्थानीय पर 18.00 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर मु0अ0सं0 1004/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस मे नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1- कल्लू पुत्र कुन्जनलाल निवासी सेमनापुर थाना गोसाईगंज उम्र करीब 30 वर्ष (मजदूरी)
2- दिलीप पुत्र रामचरन निवासी सेमनापुर थाना गोसाईगंज उम्र करीब 30 वर्ष(मजदूरी)

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 1004/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

04-दिलीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 15/2024 धारा 379/411 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 26/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 8461/2023 धारा 135 भा0वि0अधि0 थाना एंटी पावर थेफ्ट जनपद लखनऊ।

05- बरामदगी-

➢ बिजली का तार लगभग 3 किलो व 01 अदद चाकू

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

➢ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम,जोन दक्षिणी कमिश्नरेट, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2902
दिनांक-21.12.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना-पारा

- **युवक की हत्या करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की पाइप (आलाकत्ल) बरामद।**
- **थाना पारा पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण –

आज दिनांक 21.12.2025 को थाना स्थानीय पर ग्राम भदेसरमऊ, थाना मलिहाबाद लखनऊ निवासी श्री शिवदीन पुत्र स्व0 नत्था द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि उनका पुत्र शिव प्रकाश जो कि अपनी पत्नी के साथ हैदर कैनाल पूर्वीदीन खेड़ा, निकट मोदी भट्ठा, के पास अस्थाई रूप से नाले पर बने झोपड़ी में निवास करता था, उसकी हत्या उनके पुत्र की पत्नी व उसके प्रेमी ने कर दी है। **प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 873/2025 धारा 103(1)/61(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।**

घटना के अनावरण हेतु विशेष पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तगण की तलाश की गयी तथा घटना के मात्र 24 घण्टे के अन्दर शिव प्रकाश की हत्या करने वाले अभियुक्त सतीश गौतम को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की पाइप (आलाकत्ल) बरामद किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका मृतक शिव प्रकाश की पत्नी सविता से प्रेंम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक शिव प्रकाश को हो गयी थी। जिस कारण मृतक की पत्नी सविता व उसके प्रेमी अभियुक्त सतीश गौतम द्वारा साजिश कर शिवप्रकाश के सिर पर लोहे की पाइप से वार करके उसकी हत्या कर दी गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सतीश गौतम पुत्र राम प्रसाद गौतम निवासी पूर्वीदीन खेडा हैदर कैनाल निकट मोदी भट्ठा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

03-बरामदगीः-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की पाइप

04-अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 873/2025 धारा 103(1)/61(2) बी0एन0एस0 थाना पारा लखनऊ **(पंजीकृत अभियोग)**
2. मु0अ0सं0 720/2024 धारा 115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना पारा लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा लखनऊ	4. हे0का0 जितेन्द्र सिंह थाना पारा लखनऊ
2. उ0नि0 श्री मानवेन्द्र सिंहथाना पारा लखनऊ	5. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना पारा लखनऊ
3. उ0नि0 श्री सूबेचन्द्र यादव थाना पारा लखनऊ	6. का0 शिवओम थाना थाना पारा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2901

दिनांक- 21/12/2025

जोन- दक्षिणी / थाना- मोहनलालगंज

- **नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के 02 आरोपी/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.2025 को थाना **मोहनलालगंज**, **लखनऊ** पर वादी मुकदमा द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री लापता हो गई है। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के उपरान्त भी बालिका का कोई पता नहीं चल सका।

उक्त सूचना के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर **मु0अ0सं**0 460/25, धारा 137(2) **बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बालिका की सकुशल बरामदगी हेतु तत्काल पुलिस की **दो टीमें गठित** की गई। जिनके द्वारा दिनांक 16.12.2025 को नाबालिग बालिका को बरामद किया गया।

विवेचना के दौरान उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 70(2) **बीएनएस** तथा **धारा** 5(छ)(ठ)/6 **पाक्सो अधिनियम** की वृद्धि की गई।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 21.12.2025 को प्रकाश में आये पीडिता के पूर्व के परिचित अभियुक्तगण 1.**रोहित उर्फ सोहित** 2. **मनीष रस्तोगी** को थाना मोहनलालगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को नियमानुसार **न्यायिक अभिरक्षा** में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रोहित उर्फ सोहित पुत्र राकेश निवासी 25 तिलकमार्ग हजरतगंज लखनऊ हालपता कृष्णलोक कालोनी फैजुल्लागंज थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष, व्यवसाय- मजदूरी
2. मनीश रस्तोगी पुत्र श्याम किशोर रस्तोगी निवासी 5/143 सरवगी घण्टाघर बाराबंकी हालपता कियायें का मकान अशरफ बिहार कालोनी मल्लहौर थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष, व्यवसाय- मजदूरी

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 460/25, धारा 137(2)/ 70(2) बीएनएस 5(छ)(ठ)/6 पाक्सो अधिनियम थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. मोहनलालगंज पुलिस टीम दक्षिणी जोन कमि0 लखनऊ।